

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

3183
C1

// विविध आदेश //

क्रमांक... (11)..... /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 29/08/2023

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपंजीकृत सिविल प्रकरण क्रमांक-01 से 04 तक को श्रीमती नेहा रहमान द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर की न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री हीरालाल अलावा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

sdr
(सुबोध कुमार जैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0 3874
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 29/08/2023

प्रतिलिपि:-

1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर (रिक्त न्यायालय) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय की ओर भेजा जाना सुनिश्चित करें।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सिरमौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा को संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल एड्रेस में भेजने हेतु।

Sun
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)